Uttarakhand
Simply Heaven!

Uttarakhand Tourism Development Board
Department of Tourism, Government Of Uttarakhand

Certificate of Registration

This is to certify that

M/s. **Tapovan Rise Cottage**

Owner/Partner Name **Deepak Rawat**

Total Registered Room(s) 8

Address **Intercollege Road Tapovan Sarai Behind Kriyayogashram - Tapovan, Tehri Garhwal**

Has been registered as per ***Uttarakhand Tourism and Travel Trade Registration Rules-2014 (amendment 2016)*** under the category

Hotel,Motel/ Road Side Facilities, Resort, Guest/Tourist Rest House

Certificate No. UTTR/TEHRIGARHWAL/01-2023/006686

Generated On 30-12-2023

Printed On 30-12-2023

टिप्पणी– उक्त पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग भू स्वामित्व संबंधी किसी वैधानिक कार्यवाही हेतु मान्य नही होगा

District Tourism Development Officer
Uttarakhand Tourism Developement Board
जिला पर्यटन विकास अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

*** The Authenticity of the certificate may be verified on www.uttarakhandtourism.gov.in**

Pt.Deendayal Upadhaya Paryatan Bhawan Near ONGC Helipad,Garhi Cantt
Dehradun-248001(Uttarakhand)

ask for further details - 8958009083

कार्यालय
जिला पर्यटन विकास अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

Email Id- dtdotehri@gmail.com

पत्रांक 1142 /ट्रै0ट्रै0रजि0/2023–24/पर्य0टि0। दिनांक– 30/12/2023

श्री दीपक सिंह रावत
प्रो0 Tapovan Rise Cottage
तपोवन, टिहरी गढ़वाल।

विषय Tapovan Rise Cottage, तपोवन, टिहरी गढ़वाल का पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रेषण।

कृपया अवगत कराना है कि पर्यटन इकाई Tapovan Rise Cottage, प्रो0 श्री दीपक रावत, तपोवन, टिहरी गढवाल का पंजीकरण (**पंजी0 संख्या–UTTR/TEHRIGARHWAL/01-2023/006686**) दिनांकः– 30/12/2023 को उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा पंजीकरण (संसोधन) नियमावली 2016 के अधीन निम्न शर्तो दृष्टिगत रखते हुए निर्गत किया जा रहा है।

1– आपके द्वारा आपकी पर्यटन इकाई में आये देशी/विदेशी पर्यटको की व्यक्तिगत आईडी प्रूफ के आधार पर पंजीकरण कर पर्यटन इकाई पंजिका/आगुन्तक पंजिका में दर्ज करवाया जायेगा।

2– आपकी पर्यटन इकाई द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की नियत दरें और सेवा के प्रभार आदि को जिन्हे पर्यटकों/ग्राहकों से प्राप्त किया जाये कि सूचना विहित प्राधिकारी को सूचित करनी होगी तथा इसकी ब्रोशर पुस्तिका आदि प्रकाशित करनी होगी यदि वर्तमान दरो मे परिवर्तन किया जाये तो उसकी सूचना एक सप्ताह के अन्दर विहित प्राधिकारी को उपलब्ध करानी होगी तथा स्वागत पटल/कार्यालय कक्ष में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

3– आपकी पर्यटन इकाई के स्वागत कक्ष में एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका रखनी होगी।

4– जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय से निर्गत पर्यटन इकाई का पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वागत कक्ष/कार्यालय कक्ष पर स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थान में प्रदर्शित करना होगा।

5–आपकी पर्यटन इकाई आपरेटर द्वारा देशी/विदेशी पर्यटको की सांख्यिकी एवं ऑक्यूपेंसी प्रत्येक माह की 02 तारीख तक विहित प्राधिकारी को ईमेल आईडी–dtdotehri@gmail.com पर उपलब्ध करवाना आवश्यक है। उपलब्ध न कराने की दशा में उक्त पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

6– आपकी पर्यटन इकाई आपरेटर द्वारा निर्धारित दरों से अधिक रकम किसी करार के प्रतिकूल होते हुए भी वसूल नहीं करेगा।

7– आपकी पर्यटन इकाई के स्वागत कक्ष में पर्यटको को बैठने की व्यवस्था एवं इन्टरनेट सुविधा अनिवार्य हैं।

8– आपकी पर्यटन इकाई में वांछित तकनीकी उपकरण सुरक्षा एवं बचाव सम्बन्धी उपकरण होना अनिवार्य हैं।

9–आपकी पर्यटन इकाई में पर्यटकों के वाहन पार्किंग की व्यवस्था होना अनिवार्य है।

10–आपके द्वारा आवासीय इकाई संचालन हेतु 11 माहिने के किरायेनामा अनुबन्ध को पुनः नवीनीकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा ऐसा ना किये जाने की दशा में आपकी पर्यटन इकाई के पंजीकरण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थगत् अथवा निरस्त किया जायेगा।

11–आपके द्वारा अपनी इकाई का पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की निधि पोर्टल **www.nidhi.tourism.gov.in**, एवं जनपद के **attehri.com**, पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

पृ0प0सं0– /समदिनांकित/2022–23

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेशित।

1:– जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

2:– पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल।

3– सम्बन्धित उपजिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

4– क्षेत्रीय अधिकारी,(प्र0)उत्तराखण्ड प्रदूशण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त इकाई में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से जल वायु सहमति लागू करवाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।